



सत्यमेव जयते

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM - 695 001



P19/IV/DRSSA-80/2021-22/

Date 01.02.2022

To

✓
All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to Pensioners/ Family Pensioners of Uttar Pradesh State @ 31% w.e.f. 01.07.2021 – reg.

Ref: 1. O.M. No. 24/2021-G-3-804/X-2021-301/2000T.C. dated Lucknow 22.12.2021 of Government of Uttar Pradesh, Finance (General) Section-3
2. SSA No. Pension Misc/1012 dated 17.01.2022 received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Allahabad.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the Office of the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Prayagraj regarding grant of Dearness Relief to Pensioners/ Family Pensioners of Uttar Pradesh State @ 31% w.e.f. 01.07.2021. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

9/2/2022
Sr. Accounts Officer

Copy to

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. Sr. Accounts Officer (Pension)
O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh
20, Sarojani Nadu Marg, Prayagraj, Uttar Pradesh
(For information)

-Sd-

Sr. Accounts Officer

P19/IV(SSA) 80

21/01/2022

P19

256613
28/01/22



सत्यमेव जयते

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०)द्वितीय

20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांक:-पेंशन विविध/

17/01/2022

दिनांक:-

सेवा मे, AG(A&E) Kesela,
MG Road,
Thiruvananthapuram

विषय :- राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

शासनादेश :- उ०प्र० शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या - 24/2021-सा-3-804/दस-2021-301/2000 टी०सी० लखनऊ दिनांक 22/12/2021

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें ।

संलग्नक :- यथोपरि ।

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन विविध

<p>उत्तर प्रदेश शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-24/2021-सा-3-804/दस-2021- 301/2000टी0सी0 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2021</p>	<p>Government of Uttar Pradesh Finance (General) Section-3 No.24/2021-G-3-804/X-2021- 301/2000T.C. Dated : Lucknow : 22 December, 2021</p>
<p>कार्यालय-ज्ञाप</p>	<p>Office - Memorandum</p>
<p>विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति।</p>	<p>Subject: Grant of dearness relief to State Government's civil / family pensioners.</p>
<p>राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को महँगाई राहत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-6/2021/22099/1401/2020- वित्त अनुभाग-22-वित्त विभाग, दिनांक 24 अगस्त, 2021 सपठित शासनादेश संख्या-07/2021/आई/91548/2021-फा0न0-10-22099/1401/2020-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महँगाई राहत की दर 17 प्रतिशत से बढ़कार 28 प्रतिशत की गयी थी।</p>	<p>Vide government order No. 6/2021/22099/1401/2020-Finance Section-22-Finance Department, Dated 24 August, 2021 read with government order No. 07/2021/I/91548/2021/File no-10-22099/1401/2020-22, Dated 25 August, 2021 the dearness relief admissible to pensioners/ family pensioners of the state was increased from 17 percent to 28 percent w.e.f. July 01, 2021.</p>
<p>2- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार</p>	<p>2- The undersigned is directed to say that the Governor is pleased to grant one more installment of dearness relief of 03 percent w.e.f. July 01, 2021 on the</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संशोधित/ स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2021 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।	pension/ family pension revised/ determined under the provisions of the government orders issued under the recommendations of Uttar Pradesh pay Committee 2016.
3- पेंशनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर 28 प्रतिशत से बढकर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत हो जायेगी।	3- As a consequence of the above-mentioned 03 percent rise, the dearness relief payable on the pension/family pension will rise from existing 28 percent to 31 percent with effect from July 01, 2021.
4- महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।	4- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.
5- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं।	5- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments. Orders in respect of All India Service pensioners /family pensioners are being issued.
6- यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा	6- These orders will also be applicable to the pensioners of the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।</p>	<p>institutions aided from State Fund, under the Education/ Technical Education Departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.</p>
<p>7- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महँगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।</p>	<p>7- As per orders issued in O.M. No. A - 1-252 / X- 10 (3)- 81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.</p>
<p>8- महँगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।</p>	<p>8- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.</p>
<p>(नील रतन कुमार), विशेष सचिव, वित्त।</p>	<p>(Neel Ratan Kumar) Special Secretary, Finance.</p>
<p>सेवा में, (1)-उत्तर प्रदेश शासन के समस्त अपर</p>	<p>To, (1)-All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries /</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारीगण।</p> <p>(2)-महलेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं ऑडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।</p> <p>(3)-महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।</p> <p>(4)-समस्त राज्यों के महालेखाकार।</p>	<p>Secretaries to the Government of Uttar Pradesh, Heads of Departments / Offices, all Treasury Officers.</p> <p>(2)-Accountant General (Account & Entitlement)-1,2 & Audit- 1,2, Uttar Pradesh, Prayagraj.</p> <p>(3)-Office of Accountant General, Uttarakhand, Dehradun.</p> <p>(4)- Accountants General of all states.</p>
---	--

<http://shasanadesh.up.gov.in>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।